रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238212
CG-DL-E-20082022-238212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
No. 566] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

**सा.का.नि. 640(अ).**—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 277 (अ), तारीख 6 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 के, उपनियम (1) में, खंड (v) में "अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता के अनुमोदित डीलरों" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता या उनके डीलरों" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11036/99/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 625(अ), तारीख 11 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2022

**G.S.R. 640(E).—**Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 277 (E), dated the 6th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Official Gazette notification were made available to the public on the 6th April, 2022;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (1), in clause (v), for the words "approved licence plate manufacturers or their dealers", the words "licence plate manufacturers or their dealers approved by the State Government or Union Territory Administration" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/99/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 625(E), dated 11th August,2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.20 11:53:58 +05'30'